पत्रांक–कारा / बजट–(के0)–01–02 / 16...79...

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर एवं
केन्द्रीय कारा बक्सर।

पटना, दिनांक–...19-12-2016...

विषयः– **मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0–22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतनादि (वेतन जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते), व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं तथा यात्रा व्यय मद की निकासी हेतु ₹1,82,17,000 (एक करोड़ बयासी लाख सत्रह हजार रूपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।**

विपत्र कोड–N-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–18 / 2016–423 / वि0 दिनांक–31.03.2016, पत्रांक–एम0–4–09 / 2014–4572 / वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.98 तथा अधीक्षक, शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर के पत्रांक–6187 दिनांक–21.09.2016 एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर के पत्रांक–3794 दिनांक–25.10.2016 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु वेतनादि (वेतन जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते) एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा यात्रा व्यय मद में निम्नवत अतिरिक्त राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है :–

क्र	कारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दो में
1.	शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर	01 01– वेतन	11858000	4000000	15858000	एक करोड़ अनठावन लाख अनठावन हजार रूपये मात्र।
		01 03– जीवनयापन भत्ता	15536000	5200000	20736000	दो करोड़ सात लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र।
		01 06– चिकित्सा भत्ता	173000	80000	253000	दो लाख तीरपन हजार रूपये मात्र।
		01 07– अन्य भत्ता	167000	70000	237000	दो लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र।
		11 01– यात्रा भत्ता	114000	122000	236000	दो लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र।
		28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	14570000	4000000	18570000	एक करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार रूपये मात्र।
2	केन्द्रीय कारा, बक्सर	01 01– वेतन	10259000	2200000	12459000	एक करोड़ चौबीस लाख उनसठ हजार रूपये मात्र।
		01 03– जीवनयापन भत्ता	13440000	2500000	15940000	एक करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र।
		01 06– चिकित्सा भत्ता	150000	45000	195000	एक लाख पनचानबे हजार रूपये मात्र।
		कुल	66267000	18217000	84484000	आठ करोड़ चौवालीस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र।

(एक करोड़ बयासी लाख सत्रह हजार रूपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल के तहत् होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या–22 विपत्र कोड–N2056001010001 एवं कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में आवंटित राशि से सर्वप्रथम कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों/कारा निरीक्षणालय से स्वीकृत संख्या के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति गृह रक्षा वाहिनी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत आने वाले दैनिक मजदूर को भुगतान किया जायेगा।

5. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

6. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं0 405/वि0 दिनांक–25.05.06 के आलोक में अलग–अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

7. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी नं0 के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्यक किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

19/12

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(के0)–01–02/16– 79 पटना, दिनांक 19-12-2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(के0)–01–02/16– 79 पटना, दिनांक 19-12-2016

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(के0)–01–02/16– 79 पटना, दिनांक 19-12-2016

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर एवं बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(के0)–01–02/16– 79 पटना, दिनांक 19-12-2016

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।